



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51796

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 1038/2026

काशी एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अशोक कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्रा, सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना संख्या 'सी' पर जोर नहीं देना चाहते हैं।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दुबे, प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा, प्रत्यर्थी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता को सुना।
3. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

ए. एक रिट, आदेश या निर्देश, उत्प्रेषण (सर्टिओरारी) की प्रकृति में, प्रार्थी संख्या 2 द्वारा द्वितीय अपील संख्या 1104/2025, कंप्यूटर वाद संख्या AL20251666001104, काशी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, धारा 208 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेशों दिनांक 8.12.2025 और 6.10.2025 को रद्द/खारिज करने के लिए, जिसके द्वारा याचियों द्वारा दिनांक 4.8.2025 के निरंतर विस्तारित अंतरिम आदेश के विस्तार के लिए दायर आवेदन दिनांक 8.12.2025 को खारिज कर दिया गया है और प्रार्थी संख्या 5 और 6 द्वारा दायर स्थगन रिक्ति आवेदन दिनांक 25.8.2025 को आगे स्वीकार कर लिया गया है।

बी. एक रिट, आदेश या निर्देश, परमादेश (मैन्डमस) की प्रकृति में, प्रतियों/प्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए कि वे अपर आयुक्त, विंध्याचल मंडल, मिर्जापुर द्वारा वाद संख्या 111/2024, कंप्यूटर वाद संख्या C202416000000111, शीर्षक काशी एवं अन्य बनाम सुधवंत एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024; उप-जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र द्वारा वाद संख्या T202216660401164/2021, शीर्षक सुधवंत बनाम काशी एवं अन्य में पारित डिक्री दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21.10.2023; उप-जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र द्वारा वाद संख्या 1164/2022, कंप्यूटर वाद संख्या T202216660401164, शीर्षक सुधवंत बनाम काशी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 को तब तक प्रभावी न करें, जब तक कि लंबित द्वितीय अपील संख्या SA/1104/2025/सोनभद्र, कंप्यूटर वाद संख्या AL20251666001104, काशी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, लखनऊ एवं अन्य, धारा 208 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत अंतिम निर्णय न हो जाए।

सी. एक रिट, आदेश या निर्देश, परमादेश (मैन्डमस) की प्रकृति में, प्रार्थी संख्या 2 को यह आदेश और निर्देश देते हुए कि वह अपीलकर्ताओं/याचियों द्वारा द्वितीय अपील संख्या 1104/2025 के द्वितीय अपील के ज़ापन में क्रम संख्या ए से ईई तक तैयार किए गए कानून के सारभूत प्रश्नों को, दिनांक 4.8.2025 के आदेश में तैयार किए गए एक सारभूत कानून के प्रश्न के अतिरिक्त सम्मिलित करें।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बंटवारे के बाद से उत्पन्न याचिकाकर्ताओं की द्वितीय अपील को कानून के सारभूत प्रश्न तैयार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया था और आदेश दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राजस्व परिषद द्वारा पारित अंतरिम आदेश समयबद्ध था। हालांकि, बाद की तारीख पर उक्त अंतरिम आदेश को राजस्व परिषद द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया। उनका तर्क है कि एक बार द्वितीय अपील स्वीकार होने के बाद अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया था, तो उसे अपील के लंबित रहने के दौरान जारी रखा जाना चाहिए था, न कि भ्रामक आधारों पर विस्तार देने से इनकार करना चाहिए था। तदनुसार, राजस्व परिषद को द्वितीय अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत जारी रखने हेतु उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए।
5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की ओर से अंतरिम आदेश को रद्द करने का आवेदन दिया गया था, जिस पर राजस्व परिषद ने विचार किया और तदनुसार यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश को आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रथम अपील में निर्णय और डिक्री पारित होने के बाद विवादित भूखंड का विक्रय विलेख निष्पादित किया था, इसलिए याचिकाकर्ता राजस्व परिषद के समक्ष द्वितीय अपील लंबित रहने के दौरान किसी भी अंतरिम राहत के हकदार नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारे के वाद को सही ढंग से डिक्री किया गया था और अपील में आयुक्त द्वारा डिक्री की पुष्टि की गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि द्वितीय अपील के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध रिट याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि अपीलीय न्यायालय अपील के दौरान अंतरिम आदेश को रद्द/संशोधित/जारी रखने के लिए सक्षम है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
7. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर द्वितीय अपील को कानून के सारभूत प्रश्न तैयार करने के बाद स्वीकार किया गया है और पक्षों को अगली नियत तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।
8. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्व में दायर रिट याचिका में उपरोक्त द्वितीय अपील के त्वरित निस्तारण के निर्देश पहले ही दे दिए हैं, अतः यह उचित होगा कि द्वितीय अपील का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गुण-दोष के आधार पर त्वरित निर्णय किया जाए और जो अंतरिम आदेश दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया गया था, उसे अपील के लंबित रहने के दौरान राजस्व परिषद द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए।

9. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को राजस्व परिषद, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त द्वितीय अपील का निर्णय करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त द्वितीय अपील के निस्तारण तक, पक्ष प्रश्नगत भूखंड की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि राजस्व परिषद के समक्ष द्वितीय अपील लंबित रहने के दौरान पक्षों द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में कोई तृतीय-पक्ष हित सृजित नहीं किया जाएगा।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

मार्च 13, 2026

सुषमा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"